

# कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0 / — / 2016, लखनऊ, दिनांक: मार्च 28, 2016

## आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली, 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अप्रैल 2016 के लिए युगल पीठ गठन सम्बन्धी पूर्व निर्गत आदेश संख्या 630/2016 दिनांक 08.03.2016 के अनुक्रम में मुरादाबाद व वाराणसी की युगल पीठ की पूर्व घोषित कार्य अवधियों में संशोधन करते हुए उक्त माह के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण की स्थिति कालम-5 के अनुसार निम्नवत् रहेगी:-

क्र०सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण
1	2	3	4	5
1	पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	25.04.16 से 30.04.16	सदस्य पीठ-1 आगरा सदस्य पीठ-2 आगरा
2	पीठ-1 कानपुर	पीठ-1, 2, 3, व 4 कानपुर	25.04.16 से 30.04.16	सदस्य पीठ-1 कानपुर सदस्य पीठ-4 कानपुर
3	पीठ-1 गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	25.04.16 से 30.04.16	सदस्य पीठ-1 गाजियाबाद सदस्य पीठ-2 गाजियाबाद
4	पीठ गोरखपुर	पीठ गोरखपुर	11.04.16 से 13.04.16	सदस्य पीठ गोरखपुर सदस्य पीठ फैजाबाद
5	पीठ झाँसी	पीठ झाँसी	25.04.16 से 30.04.16	सदस्य पीठ झाँसी सदस्य पीठ-2 कानपुर
6	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	25.04.16 से 30.04.16	सदस्य पीठ अलीगढ़ सदस्य पीठ-2 नोएडा
7	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	18,19, 22 व 23.04.16	सदस्य पीठ-1 मेरठ सदस्य पीठ-2 मेरठ
8	पीठ मुजफ्फरनगर	पीठ मुजफ्फरनगर	11.04.16 से 13.04.16	सदस्य पीठ-1 मेरठ सदस्य पीठ मुजफ्फरनगर
9	पीठ मुरादाबाद	पीठ मुरादाबाद	18,19, 22 व 23.04.16	सदस्य पीठ-1 गाजियाबाद सदस्य पीठ मुरादाबाद
10	पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	25.04.16 से 30.04.16	सदस्य पीठ-3 वाराणसी सदस्य पीठ-2 लखनऊ
11	पीठ-3 वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	18,19, 22 व 23.04.16	सदस्य पीठ-3 वाराणसी सदस्य पीठ-6 वाराणसी

सम्बन्धित को तदनुसार सूचित किया जाये।

28/03/16  
(डी०एस० त्रिपाठी)

एच.जे.एस.

अध्यक्ष,

वाणिज्यकर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0 / 868 / 2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश को तीन प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि युगल पीठ गठन सम्बन्धी आदेश की एक-एक प्रति राज्यप्रतिनिधि तथा स्थानीय अधिवक्ता बार को हस्तगत करायी जाये।
2. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

